Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

गुरदेव कौर पत्नी गुरजन्ट सिंह पुत्री बहादुर सिंह जाति जटसिख निवासी घमुडवाली हाल वार्ड न. 6 चक 2 एसटीवाई आदि

बनाम

अंग्रेज सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जटसिख निवासी घमुडवाली तहसील पदमपुर आदि

किस्म मुकदमाः—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.–36/2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.04.2022 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है। अपीलांट दिनांक 23.07.2020 को जैर प्रकरण रकबा की जमाबंदी लेने पटवारी हल्का के पास गया तब अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तब बिना देरी किये अपील पेश कर दी गई। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।<br><br>अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर रेस्पोडेंटगण के अधिवक्तागण ने कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।<br><br>तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि तहसील सूरतगढ़ के ग्राम करडू के खसरा न. 262 में 11.825 है0, खसरा न. 396 में 7.737 है0, खसरा न. 397 में 3.882 है0, खसरा न. 398 में 2.593 है0, खसरा न. 399 में 5.311 है0 कुल 31.348 है0 बारानी में से हम अपीलांटस की माता आसाकौर पत्नी बहादुर सिंह के नाम 3.252 है0 एवं पिता बहादुर सिंह पुत्र हरदत सिंह के नाम से 5.098 है0 बारानी दोने की कुल 8.350 हे0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। आसाकौर एवं बहादुर सिंह दोनों के देहान्त उपरांत अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा सुखदेव सिंह सहित कुल 6 जायज वारिस हुए। जिसमें से सुखदेव सिंह लाऔलाद फौत हो गया। इस प्रकार आसाकौर एवं बहादुर सिंह दोनों के देहान्त उपरांत अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 जायज वारिस है। अपीलांटस द्वारा अपने माता आसाकौर एवं पिता बहादुर सिंह से प्राप्त विरास्तन भूमि की दस्तबरदारी रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में कर दी। अपीलांटस द्वारा हक त्याग करने के उपरांत उक्त भूमि 8.350 है0 में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 4/6 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम 1/6 हिस्सा व अपीलांटस के भाई सुखदेव सिंह का 1/6 हिस्सा अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होना था। इस प्रकार सुखदेव सिंह के देहान्त के कारण उक्त 8.350 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा में से 3/5 हिस्सा अर्था 0.835 है0 भूमि बहिस्सा बराबर अपीलांटस के नाम दर्ज होनी थी व शेष भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 5.846 है0 भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम 1.699 हे0 भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने ही कयासों के आधार पर जैर अपील इंतकाल स्वीकृत करते हुए उक्त 8.350 हे0 में से अपीलांटस के नाम 0.650 है0 बहिब दर्ज कर दिया जबकि 0.835 है0 दर्ज करना चाहिए था। रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 4.553 है0, व रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम 1.301 है0 दर्ज कर दिया व 1.846 है0 भूमि का कहीं भी अंकन नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।<br><br>वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दौरान बहस अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।<br><br>रेस्पोडेंट संख्या 03 परीकार राज्य ने दौरान बहस कथन किया उक्त जैर अपील इंतकाल सही दर्ज किया गया है। परीकार राज्य ने दौराने बहस अपीलांट की अपील निरस्त करने एवं राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने की प्रार्थना की। | |

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि तहसील सूरतगढ़ के ग्राम करडू के खसरा न. 262 में 11.825 है0, खसरा न. 396 में 7.737 है0, खसरा न. 397 में 3.882 है0, खसरा न. 398 में 2.593 है0, खसरा न. 399 में 5.311 है0 कुल 31.348 है0 बारानी में से आसाकौर पत्नी बहादुर सिंह के नाम 3.252 है0 एवं बहादुर सिंह पुत्र हरदत सिंह के नाम से 5.098 है0 बारानी दोने की कुल 8.350 हे0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। अपीलांटस की अपील अनुसार उन दोनों की मृत्यु उपरांत अपीलांटस, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा सुखदेव सिंह जायज वारिसान थे। पत्रावली में उपलबध अपीलांटस द्वारा दिनांक 22.02.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में सम्पादित पंजीबद्व दस्तबरदारी के अलवोकन से पाया कि अपीलांटस ने उक्त 8.350 है0 भूमि में से अपने हिस्सा 3/6 की भूमि की दस्तबरदारी रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में कर दी। आसाकौर एवं बहादुर के पुत्र सुखदेव सिंह (अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का भाई) के लाऔलाद फौत होने पर उसके हिस्सा की 1/6 की भूमि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होनी थी। इस प्रकार अपीलांट के नाम उक्त 8.350 है0 में से अपीलांटस के नाम 0.835 है बहिब, रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 5.846 है0, व रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम 1.669 है0 भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (भू.अ.) राजियासर ने उक्त 8.350 हे0 में से अपीलांटस के नाम 0.650 है0 बहिब, रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 4.553 है0, व रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम 1.301 है0 दर्ज कर दिया व 1.846 है0 भूमि का कहीं भी अंकन नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार राजियासर द्वारा ग्राम करडू का जैर अपील इंतकाल संख्या 1277 स्वीकृत दिनांक 27.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार राजियासर को इस आश्य के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा विधिक प्रावधानों के अनुरूप पुनः नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने संबंधी कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उप तहसीलदार राजियासर को पालनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। उभय पक्ष दिनांक 28.04.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार राजियासर के समक्ष उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner